

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 200/18

कल्लू पुत्र मोहर अली आयु 26 वर्ष जाति
मुसलमान निवासी मेवाती मोहल्ला थाना हजीरा
जिला ग्वालियर म0प्र0

-----आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मालनपुर

-----अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 207/18

रवि कुशवाह पुत्र बच्चू सिंह कुशवाह आयु 22
वर्ष निवासी वंशीपुरा थाना मुरार जिला ग्वालियर
म0प्र0

-----आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मालनपुर

-----अनावेदक

12-06-2018

आवेदक/अभियुक्तगण कल्लू व रवि की ओर से श्री जी0एस0
निगम अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक
अभियोजक उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त रवि की ओर से श्री जी0एस0 निगम अधिवक्ता
द्वारा नवीन एडवोकेट मेमो पेश किया गया।

पुलिस थाना मालनपुर से अपराध क्रमांक 127/18 अंतर्गत धारा
457 व 380 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 200/18 आवेदक
कल्लू का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। जमानत
आवेदन क्रमांक 207/18 आवेदक रवि का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा
439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकार एक ही मामले में दोनों
आवेदक/अभियुक्तगण के पृथक-पृथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किये गये
हैं। दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण दोनों
जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण कल्लू व रवि की ओर से
अधिवक्ता श्री जी0एस0 निगम द्वारा जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के समक्ष
जमानत आवेदन धारा 437 दं0प्र0सं0 का निरस्त हो जाने के पश्चात् प्रथम
नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में

निवेदन किया है कि उपरोक्तानुसार प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है, जिसकी पुष्टि में शपथपत्र कर्ता शकील खाँ के शपथ पत्र पेश किये गये हैं।

दोनों आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदकगण की ओर से अधि. श्री जी0एस0 निगम द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि आवेदकगण द्वारा कथित अपराध के संबंध में कोई चोरी नहीं की है। आवेदकगण के विरुद्ध असत्य अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जबकि आवेदकगण का उक्त अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदक रवि दिनांक 27.05.2018 से एवं आवेदक कल्लू 28.05.18 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उनके फरार होने तथा साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की आशंका नहीं है। मामला जेएमएफसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। सहअभियुक्त अकरम की जमानत इस न्यायालय से हो चुकी है। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है। आवेदकगण नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे। अतः समानता के आधार पर आवेदकगण को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये तथा आवेदकगण की मामले में भूमिका जमानत पा चुके अभियुक्त की भूमिका से भिन्न होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्रों का विरोध कर उन्हें निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार मामले में की गई विवेचना के आधार पर दिनांक 05 व 06.05.18 की दरमियानी रात्रि में अभियुक्तगण रवि, कल्लू खाँ व मनीष जाटव द्वारा एक लोडिंग गाड़ी क्रमांक एम.पी. 07 जीए 6734 को लेकर बाराहेड का पेड़ा ग्राम तुकेड़ा थाना मालनपुर पर आकर कुन्ने वाली दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा सामान एक फ्रिज, बर्फ रखने का बॉक्स एक, भारत गैस का खाली सिलेण्डर, स्टोल की टंकी एक, लकड़ी की गोलक एक, योगा कंपनी का स्पीकर सिस्टम एक, स्पीकर छोटे-छोटे, गैस चूल्हा छोटा एक, बीड़ी बण्डल, नमकीन के छोटे-छोटे पैकेट, राजश्री, विमल के आधा-आधा पैकेट आदि सामान गाड़ी में रखकर अपने घर ले जाना बताया गया है एवं एक फ्रिज को सहअभियुक्त अकरम को बेचना बताया गया है।

उक्त घटना के संबंध में फरियादी राकेश सिंह द्वारा आरक्षी केंद्र मालनपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट किये जाने पर अज्ञात अभियुक्तगण के

विरुद्ध अंतर्गत धारा 457 व 380 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 127/18 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है एवं विवेचना के अनुक्रम में पूछताछ किये जाने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण रवि व कल्लू द्वारा किये गये प्रकटीकरण के आधार पर उक्त अभियुक्तगण के कब्जे से कथित अपराध में चुराई गई संपत्ति भी जप्त हुई है तथा वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और आवेदकगण/अभियुक्तगण रवि व कल्लू की उक्त अपराध में भूमिका नियमित जमानत का लाभ प्राप्त कर चुके सहअभियुक्त अकरम की भूमिका से सारतः भिन्न होने के कारण वे समानता के आधार पर भी जमानत का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों सहित आवेदकगण/अभियुक्तगण की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण/अभियुक्तगण रवि व कल्लू की ओर से प्रस्तुत पृथक-पृथक जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किये जाते हैं।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड